

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

संचिका सं.CICOM/R/2017/01363

दिनांक. 21.11.2017

सेवा में,

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय,
नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110001.

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) के तहत आर.टी.आई. आवेदन का अग्रेशन ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आवेदक श्री लाल बाबू शर्मा का दिनांक 02.11.2017 का 30 आर.टी.आई. आवेदन जो कि दिनांक 15.11.2017 को केन्द्रीय सूचना आयोग में डायराईज हुआ (डायरी सं. 176311) तथा दिनांक 16.11.2017 को आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में प्राप्त हुआ है जो कि आपके विभाग के कार्यक्षेत्र से संबंधित है ।

उक्त आवेदन अधिनियम की धारा 6 (3) के तहत आपको अग्रसारित किया जाता है । कृपया वांछित सूचना निर्धारित अवधि के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, यदि वांछित सूचना आपसे संबंधित नहीं है तो कृपया संबंधित अधिकारी को अग्रसारित करें ।

आवेदक द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मांगने हेतु निर्धारित शुल्क दस रुपये भारतीय पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से केन्द्रीय सूचना आयोग में भुगतान कर दिया गया है ।

संलग्नक : आर.टी.आई. आवेदन की मूल प्रति ।

अशोक क. शर्मा

(ए. के. शर्मा)

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
आर.टी.आई.सेल

प्रतिलिपि:-

श्री लालबाबू शर्मा,

- सूचना उक्त कार्यालय द्वारा प्रदान की जाएगी ।